राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 16(5)एम.ई./ग्रुप–1/2014 जयपुर, दिनांक : 20 MAY 2014

–: : परिपत्र : :–

प्रायः यह देखा गया है कि राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों द्वारा उनकी चल–अचल सम्पत्ति का विवरण यथासमय राज्य सरकार को नहीं भिजवाया जाता है। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा भी इस विभाग को अवगत करवाया गया है।

राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम 21 (2) एवं (3) में निम्नानुसार प्रावधान है :–

नियम 21 (2) :–

No Government servant shall, except with the previous knowledge of the prescribed authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise either in his own name or in the name of any member of his family :

Provided that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained by the Government servant if any such transaction is –

(i) With a person having official dealings with the Government servant; or
(ii) Otherwise than through a regular or reputed dealer.

नियम 21 (3) :–

Every Government servant shall report to the prescribed authority every transaction concerning movable property owned or held by him either in his own name or in the name of a member of his family, if the value of such property exceeds 10,000 in the case of a Government servant holding any post in State Services.

Provided that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained if any such tranaction is –

(i) With a person having official dealings with the Government Servant; or
(ii) Otherwise than through a regular or reputed dealer.

अतः राज्य के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत समस्त चिकित्सक शिक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस विभाग को अवगत करावे कि उनके द्वारा चल–अचल सम्पत्ति के क्रय/विक्रय किये जाने से पूर्व उपरोक्त नियमों में वांछित पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी अथवा पूर्व सूचना प्रेषित कर दी गई थी। स्वीकृति/सूचना की प्रति सक्षम प्राधिकारी के मार्फत उपलब्ध कराई जावे।

भविष्य में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों के द्वारा अपने नाम से व अपने परिवार के सदस्यों के नाम से चल–अचल सम्पत्ति क्रय करने, लीज पर लिये जाने, मोरगेजक, विक्रय करने व उपहार के रूप में स्वीकार करने संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम 21(2) व 21(3) की पालना सुनिश्चित करे।

आज्ञा से,

(डॉ0 एस.पी. सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त परिपत्र के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव